इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 29.06.2025

जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द एवं कानून/शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाली 01 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत।

इटावा पुलिस थाना बकेवर द्वारा की गयी कार्यवाही।

जनपद में विगत दिनों में थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत घटित हुई घटना पर सोशल मीडिया पर आम जनमानस को भड़काने के उद्देश्य से कुछ अराजक तत्वों द्वारा अभद्र/भ्रामक पोस्ट ट्विटर/इन्स्टाग्राम/फेसबुक पर रील/वीडियो/फोटो अपलोड किये जा रहे हैं जिसके दृष्टिगत, सोशल मीडिया पर इटावा पुलिस द्वारा 24*7 सक्रिय रहते हुये कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज दिनांक 29.06.2025 को इसी क्रम मे कार्यवाही करते हुये जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द एवं कानून/शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाली महिला के विरुद्ध ससुंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उल्लेखनीय है कि इटावा पुलिस द्वारा **पूर्व मे** ट्विटर/फेसबुक/इन्स्टाग्राम आईडी को चिन्हित करते हुये **कुल 08 अभियोग पंजीकृत करते हुये 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।**

"वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जनपद वासियों से अपील की गयी कि वे सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट न डाले और यदि आपके पास ऐसी पोस्ट आती है तो उसे आगे फॉरवार्ड न करें ,बल्कि इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएं। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और इसमें जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 180/25 धारा 196/299/352 बीएनएस 67 आईटी एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

नोटः- **ज्ञात रहे कि इटावा पुलिस की गठित सोशल मीडिया टीम द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सर्तक दृष्टि रखी जा रही है एवं भड़काऊ पोस्ट/रील/भ्रामक वीडियो न डालें अन्यथा आपके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।**